हॉब्स का सामाजिक समझौता।

हाब्स का सामाजिक समझौता

① राज्य मानवीय समूहों का वह सर्वोच्च संस्था है, जिसका उद्देश्य मानवीय कल्याण के साथ-साथ विभिन्न संस्थाओं के समन्वय स्थापित रखते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, को लेकर विचारकों में काफी मतभेद है, फलतः राज्य की उत्पत्ति के सन्दर्भ में विभिन्न सिद्धान्त व्यक्त किए गए जैसे - शक्ति सिद्धान्त, दैवी सिद्धान्त, विकासवादी सिद्धान्त तथा सामाजिक समझौता सिद्धान्त।

परन्तु इन सभी सिद्धान्तों के विपरीत सामाजिक समझौते का सिद्धान्त एक अलग चित्र प्रस्तुत करता है जो आधुनिक युग में काफी लोकप्रियता प्राप्त किये हुए है। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते के फलस्वरूप सम्भव हुआ है।

आधुनिक युग में सामाजिक समझौते सिद्धान्त को लोकप्रिय बनाने का श्रेय हाब्स, लॉक एवं रूसो को है।

अंग्रेज दार्शनिक हाब्स प्रथम आधुनिक दार्शनिक था, जिसने राजनीतिक सिद्धान्त का आधुनिक विचारधारा से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। हाब्स ने अपनी ~~लेवियथन~~ 'लेवियाथन' के अध्याय 17 एवं 18 में राज्य एवं सामाजिक संविदा के सम्बन्ध में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया है।

सामाजिक अनुबन्ध की संकल्पना—

हाब्स के अनुसार ~~राज्य~~ राज्य उत्पत्ति के पूर्व व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था। इस अवस्था में मनुष्य के लिए कुछ भी निश्चित नहीं था

(2) इसमें Just and unjust (न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण) का कोई स्थान नहीं था यह मानवजीवन की पाशविक अवस्था थी। प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक वस्तु पर अधिकार था पर Social or Legal Recognition के अभाव में ये अधिकार निरर्थक हो जाते थे।

मानव प्रकृति का विश्लेषण करते हुए हॉब्स लिखता है कि जैसे science में प्रत्येक वस्तु की प्रकृति motion (गति) होती है वैसे ही मानव भी निरन्तर सक्रिय रहने वाला प्राणी है। वह अपनी इच्छाओं का समुच्चय है (Aggregation of Desire) जो उसे गतिमान बनाए रखती है। प्रत्येक मनुष्य (Isolated) एकाकी, अहंवादी (Egoist), और तृष्णा (Appetite) का दास होता है। वह अपने को (end) साध्य एवं राज्य को साधन (means) मानता है। इस कारण प्राकृतिक अवस्था में सबों का सबों से युद्ध होता रहता था और वे मृत्यु के भय से कभी मुक्त नहीं होते थे और यदि उनमें विवेक का स्वाभाविक गुण ना होता तो ये अवस्था अनिश्चितकाल तक चलती रहती। विवेक ने उन्हें बताया कि युद्ध की अपेक्षा शान्ति का अधिक मूल्य है। अतः उन्होंने शान्ति की स्थापना के लिए कुछ नैतिक नियमों को स्वीकार किया। और इसका पहला नियम था कि प्रत्येक मनुष्य को उतनी ही स्वतन्त्रता स्वीकार करनी चाहिए जितनी वह दूसरों को देने के लिए तैयार है।

मौखिक रूप से स्वीकार किये जाने वाले ये नियम कानूनों की बाध्यकारी शक्ति के अभाव में विशेष लाभप्रद सिद्ध नहीं हुए। मनुष्य की स्वाभाविक भावनाओं पर किसी शक्ति का बाध्यकारी नियंत्रण

(3)

न होने के कारण युद्ध की स्थिति लगातार पूर्ववत् बनी रही। वे आकस्मिक मृत्यु के भय से मुक्त होने एवं भावनाओं पर अंकुश रखने के लिए तथा प्राकृतिक नियमों का पालन करवाने के लिए किसी बाह्यकारी शक्ति की आवश्यकता थी। अतः हॉब्स का मत है कि "राज्य की उत्पत्ति का सुनिश्चित कारण मनुष्यों की अपनी स्वयं की सुरक्षा और इससे सम्बन्धित अधिक सन्तुष्ट जीवन की दूरदर्शिता है।"

राज्य स्थापना की विधियाँ — हॉब्स ने राज्य स्थापना की दो विधियाँ बतायी —

(i) बल प्रयोग द्वारा

(ii) प्रतिष्ठापन द्वारा —

हॉब्स का मानना है कि दोनों प्रकार के राज्य की स्थापना का कारण भय है। पर दोनों में भय का रूप भिन्न है। प्रथम में शासक का भय है एवं दूसरे में असुरक्षा का भय।

राज्य स्थापना की विधियों की चर्चा करते हुए हॉब्स का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समझौते का समर्थन करना है। वह सामाजिक समझौते पर आधारित राज्य को ही वास्तविक राज्य मानता है, न कि बल पर आधारित राज्य को। हॉब्स का तर्क है कि भय पर आधारित राज्य में आन्तरिक एकता का अभाव होता है। आन्तरिक एकता से हॉब्स का अभिप्राय है — लोगों के स्वाभाविक इच्छा की एकता। हुड ने लिखा है," हॉब्स का विचार था कि भय से प्रजाजनों की स्वाभाविक इच्छाओं में एकता स्थापित नहीं की जा सकती है।"

(3) अपनी उपर्युक्त धारणा के कारण, हॉब्स बल पर आधारित राज्य को अस्वीकार करता है। उसका तर्क है कि सभी संगठित मानव समाज की उत्पत्ति समझौते के कारण ही हुई है। यह समझौता शासकों एवं शासितों के मध्य नहीं हुआ था, क्योंकि समझौते के समय शासक का अस्तित्व ही नहीं था यह समझौता मनुष्यों का पारस्परिक समझौता था, जिसके अनुसार उन्होंने शासकों की नियुक्ति की। मैक्सी के शब्दों में, "हॉब्स के लिए राज्य सामाजिक समझौते पर आधारित संस्था है। मनुष्यों को यह समझौता अनियंत्रित स्वतंत्रता से उत्पन्न होने वाली हिंसा के साम्राज्य से बचने के लिए करना पड़ा। शासक इस समझौते में भाग लेनेवाला न होकर इसके लक्ष्य है। समझौते के अनुसार मनुष्यों से अपने कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए इन शासकों को शक्ति और अधिकार समर्पण किया गया।"

सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका वर्णन करते हुए हॉब्स ने लिखा है, "राज्य की स्थापना तब होती है, जब किसी मानव समुदाय के अनेक मनुष्य एक-दूसरे से सहमत होकर यह समझौता करते हैं कि समुदाय के सभी मनुष्य उस मनुष्य या मनुष्यों के समूह के कार्यों और निर्णयों को अपने स्वयं के कार्य एवं कार्य और निर्णय समझेंगे, जिसे उनके अधिकांश भाग ने अपना प्रतिनिधि चुना है, चाहे उनमें से किसी ने उसके

(5)
पक्ष में मत दिया हो या विपक्ष में। इस समझौते का उद्देश्य यह है कि समुदाय के सब मनुष्य परस्पर शान्तिपूर्ण एवं दूसरे मनुष्यों से सुरक्षित रहेंगे।"

इससे इस सिद्धान्त की निम्न विशेषताएँ परिलक्षित होती है –

(1) संविदा एक जन-समुदाय द्वारा सामूहिक या दलगत रूप में न किया जाकर प्राकृतिक दृष्टि से समान मनुष्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप में किया जाता है।

(2) एक बार संविदा हो जाने पर उससे अलग नहीं हुआ जा सकता है।

(3) चूंकि यह समझौता स्वतंत्र एवं समान लोगों के बीच होता है अतः यह संविदा सामाजिक है।

(4) संविदा राजसत्ता का निर्माण करके और सब मनुष्यों को उसके अधीन करके एक व्यवस्थित राज्य का निर्माण करने में योग देता है।

(5) संविदा द्वारा एक सर्वशक्तिशाली सार्वभौम सम्प्रभु की स्थापना की जाती है।

(6) सम्प्रभु स्वयं किसी संविदा का भाग नहीं होता इसलिए अपने कार्यों के लिए किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होता।

(7) संविदा द्वारा प्रत्येक मनुष्य सम्प्रभु की अधीनता को स्वीकार करता है।

(8) और अन्ततः संविदा द्वारा शासक एवं शासित का जन्म होता है।

(6) राजा एवं प्रजा का सम्बन्ध – हॉब्स का संविदा सिद्धान्त : जनता की स्वतन्त्रता का अधिकार पत्र न होकर, उसकी दासता का बन्धनपत्र है। समझौते के द्वारा जनता जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सम्प्रभुता सौंपती है, वह स्वयं उस समझौते में सम्मिलित नहीं होता, वह उससे परे (अलग) होता है। एक बार समझौता हो जाने पर उसे भंग नहीं किया जा सकता। यह सम्प्रभु को निरंकुश बना देता है। वह असीम शक्तियों का स्वामी होता है। सम्प्रभु का आदेश ही कानून है पर वह स्वयं उस कानून की सीमा से ऊपर होता है। सभी लोग उसकी आज्ञापालन के लिए बाध्य होते हैं।

हालांकि हॉब्स यह स्वीकार करता है कि यदि कोई सम्प्रभु अपने नागरिकों के जीवन की सुरक्षा में असमर्थ हो तो जनता उसकी अवहेलना कर सकता है पर किसी भी हालत में उसे बदल नहीं सकती है।

मूल्यांकन :- हॉब्स का सामाजिक समझौता का सिद्धान्त अनेक त्रुटियों से भरा हुआ है। वह मनुष्य की स्वभाविक सामाजिक प्रवृति को राज्य उत्पत्ति का कारण न मानकर, समाज विरोधी प्रवृत्ति को मानता है। वह राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है। हॉब्स राज्य को उपयोगिता के स्तर पर ले जाता है। वह शासक को असीम शक्ति प्रदान कर उसे निरंकुश बना देता है। एक तरह से वह प्रजाजन को दासता की स्थिति प्रदान करता है।

(४) इन त्रुटियों के बावजूद हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धान्त में उल्लेखनीय गुण हैं —
हॉब्स के पहले राज्य की उत्पत्ति को ईश्वरीय माना जाता था एवं राजा के दैवी अधिकार में विश्वास किया जाता था। हॉब्स ने अपने सिद्धान्त द्वारा इन विचारों का खण्डन करके राज्य को मानव इच्छा का परिणाम बताया। उस समय इंग्लैण्ड में गृहयुद्ध की स्थिति हो गई थी और इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए एक शक्तिशाली शासक की आवश्यकता थी। अगर शासक को इस संविदा का पक्ष बनाता तो पुनः अराजकता फैल सकती थी। अतः हॉब्स ने एकपक्षीय संविदा सिद्धान्त का प्रतिपादन किया।